न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 718–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 26–12–2013 पारित –व्दारा– अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर– प्रकरण कमांक 704/अ–56/2007–08 अपील

हरचरण पुत्र नन्दराम नामदेव
ग्राम हीरापुर तहसील बण्डा
जिला सागर, मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूध्द

1– हरलाल पुत्र भैयालाल सेन
2– रामकिशन पुत्र रामप्रसाद प्रजापति
दोनों निवासीगण ग्राम हीरापुर
तहसील बण्डा जिला सागर मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अग्रवाल
अनावेदक–1 के अभिभाषक श्री रमेश पाठक

आदेश

(आज दिनांक 28.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 704/अ–56/ 2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–12–13 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका नंबर 35 एंव सरपंच ग्राम पंचायत हीरापुर ने इस आशय की सूचना दी कि ग्राम हीरापुर का कोटवार ग्राम में नहीं है अपितु वह दिल्ली में कारोवार करता है जिसके कारण ग्राम में कोटवार नियुक्त किया जावे । इस पर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 2 अ

56/03–04 पंजीबद्व किया एंव कार्यवाही प्रारंभ की तथा आदेश दिनांक 4–9–2004 पारित करके तत्का. कोटवार हीरापुर सीतराम बल्द ढोलन रेकवार को पदच्युत कर दिया।

हरचरण नामदेव पुत्र नंदराम नामदेव निवासी हीरापुर ने तहसीलदार वण्डा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की वह 7 वीं पास है एंव हीरापुर में कोटवार का पद खाली है उसे कोटवार नियुक्त किया जावे। तहसीलदार शाहगढ़ ने प्रकरण कमांक 5 अ 56/03–04 पंजीबद्व कार्यवाही की तथा प्रकरण कमांक 2 अ 56/03–04 में आदेश दिनांक 4–9–2004 से दोनों प्रकरण को संयुक्त कर सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 6–9–2004 पारित किया एंव हरचरण नामदेव पुत्र नंदराम नामदेव निवासी हीरापुर को अस्थाई कोटवार पद पर नियुक्त कर दिया। तहसीलदार बण्डा के इस आदेश के विरूद्व हरलाल पुत्र भैयालाल सेन एंव रामकिशन पुत्र रामप्रसाद प्रजापति ने अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी वण्डा ने प्रकरण कमांक 8/अ–56/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–3–06 से तहसीलदार बण्डा का आदेश दिनांक 6–9–04 निरस्त किया एंव प्रकरण नायव तहसीलदार शाहगढ़ की ओर पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी, वण्डा के आदेश दिनांक 9–3–06 के विरूद्व अपर कलेक्टर सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 56 अ 56/05–06 में दिनांक आदेश दिनांक 12–4–07 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 9–3–06 निरस्त किया गया तथा नायव तहसीलदार शाहगढ को निर्देश दिये गये कि ग्राम हीरापुर में स्थाई कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

नायव तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा पद पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराने पर रामकिशन प्रजापति, हरचरण नादेव , हरलाल सैन के आवेदन प्राप्त हुये । नायव तहसीलदार शाहगढ़ ने हितबद्वों की सुनवाई उपरांत प्रकरण कमांक

4 अ 56/06—07 में आदेश दिनांक 31—8—07 पारित किया तथा हरचरण नामदेव को कोटवार पद पर नियुक्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के समक्ष अपील कमांक 13 अ 56/2007—08 होने पर आदेश दिनांक 30—8—08 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 31—8—07 निरस्त किया गया तथा हरलाल पुत्र भैयालाल सैन को कोटवार पद पर नियुक्त करने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व हरचरण पुत्र नंदराम नामदेव से द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग ने प्रकरण कमांक 704 अ 56/2007—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 26—12—13 से अपील निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/　　निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक—1 के अभिभाषक को सुना गया। अनावेदक कमांक—2 के विरूद्व दिनांक 6—6—14 से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/　　हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित विभिन्न आदेशों के कम में तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन से स्थितिं यह है कि तहसीलदार शाहगढ़ ने प्रकरण कमांक 5 अ 56/03—04 पंजीबद्व कर कोटवार के रिक्त पूर्ति की कार्यवाही की तथा इसी संबंध में प्रचलित दूसरे प्रकरण कमांक 2 अ 56/03—04 को संयुक्त करके सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 6—9—2004 पारित किया एंव हरचरण नामदेव पुत्र नंदराम नामदेव निवासी हीरापुर को अस्थाई कोटवार पद पर नियुक्त कर दिया, जिसके विरूद्व अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी वण्डा ने प्रकरण कमांक 8/अ—56/04—05 में पारित आदेश दिनांक 9—3—06 से तहसीलदार बण्डा का आदेश

दिनांक 6-9-04 निरस्त किया गया, जिसके विरूद्व अपर कलेक्टर सागर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 56 अ 56/05-06 में पारित दिनांक आदेश दि. 12-4-07 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा नायव तहसीलदार शाहगढ को निर्देश दिये गये कि ग्राम हीरापुर में स्थाई कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। नायव तहसीलदार शाहगढ़ ने पद पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराई, जिस पर कमशः रामकिशन प्रजापति, हरचरण नादेव , हरलाल सैन के आवेदन प्राप्त हुये । नायव तहसीलदार शाहगढ़ ने जांच एंव सुनवाई उपरांत प्रकरण कमांक 4 अ 56/06-07 में आदेश दिनांक 31-8-07 पारित कर हरचरण नामदेव को कोटवार पद पर नियुक्त कर दिया, जिसके विरूद्व अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा ने प्रकरण कमांक 13 अ 56/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 30-8-08 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 31-8-07 निरस्त किया तथा हरलाल पुत्र भैयालाल सैन को कोटवार पद पर नियुक्त करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्व हरचरण पुत्र नंदराम नामदेव ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 704/2007-08 अ-56 प्रस्तुत की, जिसमें अंतरिम आदेश दिनांक 29-9-2008 से अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के आदेश दिनांक 30-8-08 का कियान्वयन स्थगित किया गया।

अनावेदक हरलाल सेन पुत्र भैयालाल को अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा व्दारा आदेश दिनांक 30.8.08 से कोटवार पद पर नियुक्त कर दिये जाने एंव स्थगन होने के कारण कोटवार पद पर उपस्थिति नहीं ली गई, जिसके कारण हरलाल सेन पुत्र भैयालाल ने माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर में WRIT PETITION NO. 4084/2014 (s) प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 27.3.14 से निम्नानुसार निर्देशों के साथ निराकृत हुई है :-

" In view of aforesaid submissions made by learned counsel for the parties and as agreed to by them, the wirt perition is disposed of with derection that in case the petitioner submitsrepresentation within a period of 3 weeks' from the date of receipt of certified copy of the order passed today to the respondent No. 3 namely the Collector, Sagar, the aforesaid Authority shall consider and decide the representation , whith may be submitted by the petitioner within a period of 3 months' from the date of receipt of such a representation, by a speaking order. "

माननीय उच्च न्यायालय में हरलाल सेन पुत्र भैयालाल व्दारा उक्त याचिका दायर करने के पूर्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के यहां हरचरण पुत्र नंदराम नामदेव ने अपील कमांक 704/2007—08 अ 56 दिनांक 29—9—2008 को दायर कर करा दी गई, जो आदेश दिनांक 26.12.13 से निराकृत होकर निरस्त की जा चुकी है अर्थात अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के आदेश आदेश दिनांक 30.8.2008 से हरलाल सेन पुत्र भैयालाल सैन की ग्राम हीरापुर के कोटवार पद पर की गई नियुक्ति यथावत् रही है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में हरलाल सेन पुत्र भैयालाल सैन व्दारा कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रकरण कमांक 01/ अ 56/13—14 में पारित आदेश दिनांक 5—7—14 से अमान्य किया जा चुका है।

5/ उपरोक्त पद 4 में आये तथ्यों के कम में यह निगरानी अपर आयुक्त , सागर संभाग, सागर के यहां अपील कमांक 704/2007—08 अ 56 में पारित

आदेश दिनांक 26—12—13 एंव अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के प्रकरण कमांक 13 अ 56/07—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—8—2008 पर विचारित होना है। अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के प्रकरण कमांक 13 अ 56/07—08 अपील एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 704/2007—08 अ 56 में आये अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा जब तहसीलदार के कोटवार नियुक्ति आदेश दिनांक 31.8.07 का परीक्षण किया है उनके व्दारा आदेश के पद—4 में निकाले गये निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —

" अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ क—137 पर थाना प्रभारी शाहगढ़ का पत्र दिनांक 25—4—06 में नायव तहसीलदार शाहगढ़ को लेख किया गया है कि हरचरण नामदेव ग्राम कोटवार का आचरण संदिग्ध होने के कारण इसे पदच्युत करके अन्य कोटवार नियुक्त करने का लेख किया गया है। "

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पद 5 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है —

" अधीनस्थ न्यायालय व्दारा अपने पत्र कमांक 4 अ 56/06—07 दिनांक 27—7—07 व्दारा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव चाहा गया है तब वही न्यायालय दिनांक 25—6—04 को जारी प्रस्ताव कमांक 05 जो करीवन 02 वर्ष पुराना है उसे कैसे मान्य कर सकता है जबकि ग्राम पंचायत हीरापुर ने प्रस्ताव कमांक—1 दिनांक 15—8—07 हरलाल सेन को ग्राम कोटवार नियुक्त करने वावत् सर्वसम्मिति से प्रस्ताव पारित किया है।

अनुविभागीय अधिकारी वण्डा ने आदेश दिनांक 30—8—08 में उक्तानुसार निष्कर्ष निकालते हुये थाना प्रभारी शाहगढ़ व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एंव ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर अनावेदक क—2 की नियुक्ति कोटवार ग्राम हीरापुर के पद पर की है, जिसके कारण अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 26—12—2013 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है और आवेदक व्दारा प्रस्तुत अपील को बलहीन व सारहीन

मानकर निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी वण्डा व्दारा आदेश दिनांक 30—8—08 में तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा आदेश दिनांक 26—12—13 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 704 / अ—56 / 2007—08 में पारित आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 2013 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर